THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI JASWANT SINGH): Sir, the Government takes all such issues of missing fishermen very seriously. As I said yesterday, whether it happens on the west coast or the east coast, towards Pakistan, we take it very seriously, and we do take it up with the countries concerned. In the present instance, we have taken it up with the Government of Sri Lanka, and I would like to assure the hon. Member, and also the people of Tamil Nadu, that we take it very seriously, and we are endeavouring to find.. (Interruptions)...

SHRI C.P. THIRUNAVUKKARASU (Pondicherry): And Pondicherry also.

SHRI JASWANT SINGH: I understand that I am talking of the entire east coast. ... (Interruptions)... I have addressed about Gujarat also.

This is an issue which the Government takes very seriously. We will address ourselves afresh to this issue.

Need for making uniform Laws for Reservation of Jobs for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in all the Services of Central Government

श्री श्याम लाल (उत्तर प्रदेश) : मान्यवर भारतीय संविधान द्धारा अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों को केन्द्रिय सरकार के अधीन विभिन्न विभागों की सेवाओं में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रदान किए जाने की व्यवस्था है । इस व्यवस्था के अनुसार सीधी भर्ती में प्रथम व द्धितीय श्रेणी के पदों के लिए अनुसूचित जातियों को 15 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5 प्रतिशत का आरक्षण दिया जा रहा है । परन्तु तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों में इन जातियों को आरक्षण प्रदेशीय राज्यों में आबाद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्यां के अनुपात में दिया जा रहा है । उदाहरण के लिए गोवा प्रदेश में केन्द्रीय सेवाओं की तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए अनुसूचित जाति को 2 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक प्रतिशत दिया जाता है । आश्चर्य है कि जहां सीधी भर्ती में आरक्षण की व्यवस्था उपरोक्तानुसार हैं, वहीं केन्द्रिय सेवाओं के सभी श्रेणी के पदों की प्रोन्नित में क्रमशः 15 प्रतिशत व 7.5 प्रतिशत का आरक्षण दोनों ही समुदायों को देय है ।

अतः सदन के माध्यम से सरकार द्धारा केन्द्रीय सेवाओं की सीधी भर्ती में सभी श्रेणी के पदों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए क्रमशः 15 प्रतिशत तथा 7.5 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किए जानें हेतु संवैधानिक कानून बनाए जाने की मांग की जाती है।

Sethu Samudram Scheme

SHRI C.P. THIRUNAVUKKARASU (Pondicherry): The Sethu Samudram Canal Project was conceived more than 140 years ago. This project was conceived even prior to the scheme of Suez Canal. Sir, 3,555 miles of Indian coast runs from the East to the West to enable the Indian ships to navigate within the Indian territorial waters. Prior to Independence,